न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–135/2015/भीलवाड़ा (2015/00006)

1. दिलीप कुमार पुत्र शोभालाल गुप्ता (चेचाणी) निवासी पुर, हाल मुकाम उज्जैन (मध्यप्रदेश)

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकाकर जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेट

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 27.7.2015 अपील संख्या 33/2015.

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश जैन, वकील अपीलांट ।

निर्णय

दिनांकः–30.11.2017

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 27.7.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर, तहसील भीलवाड़ा में खसरा नंबर 4976/1 रकबा 6–16–00 बीघा भूमि अपीलांट के पिता स्व0 शोभालाल चेचाणी की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नंबर 4922 रकबा 2–04–00 बीघा भूमि में प्रार्थी का आधा हिस्सा निहित है । प्रार्थी के पिता ने अपनी संपूर्ण चल–अचल सम्पति जिसमें उक्त कृषि भूमि भी सम्मिलित है, का एक रजिस्टर्ड वसयीत पत्र

अपीलांट के नाम निष्पादित कर रखा है । प्रार्थी के पिता शोभालाल का निधन दिनांक 4.10.2011 को हो गया है । अतः उक्त कृषि भूमि का नामांतकरण अपीलांट के नाम तस्दीक किया जावे । तहसीलदार, भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 20.4.2015 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र अपास्त कर दिया । अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने दिनांक 27.7.2015 को अपीलांट की अपील अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत राजकीय अधिवक्ता का पद रिक्त होने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्यायालयों ने इस विधिक तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब अपीलांट के पक्ष में संपूर्ण चल व अचल सम्पति के संबंध में पंजीकृत वसीयत है तो पिता की मृत्यु उपरांत संपूर्ण आराजियात बाबत् जो नामांतकरण दर्ज किया जाना चाहिये था वह मात्र अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था । अपीलांट के पक्ष में निष्पादित उक्त पंजीकृत वसीयत को आज दिवस तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है इसलिये उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम नामांतकरण स्वीकृत करने में कोई विधिक बाधा नहीं थी, इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक नहीं करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात अपीलांट के पिता शौभालाल चेचाणी की स्वअर्जित आराजियात थी जिसे उन्हें वसीयत करने का पूर्ण विधिक अधिकार था तथा मृतक के अन्य किसी भी वारिसान ने उक्त वसीयत को कभी भी चुनौती नहीं दी जिससे भी उक्त वसीयत पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता था ।

4- हमनें अपीलांट के विद्वान अभिभाष की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट ने अधी0न्याया0 तहसीलदार, भीलवाड़ा के समक्ष ग्राम पुर, तहसील भीलवाड़ा की आराजी में स्वंय के पिता स्व0 शोभालाल चेचाणी का 1/2 हिस्सा होकर खातेदारी की होने का कथन करते हुए रजिस्टर्ड वसीयत पत्र के आधार पर स्वंय के नाम नामांतकरण दर्ज करने का निवेदन किया था । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध तथाकथित वसीयत के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वसीयत में ग्राम पुर की आराजी का उल्लेख न होकर उज्जेन (म0प्र0) की सम्पति का उल्लेख है । अपीलांट ने जिस वसीयत के आधार पर ग्राम पुर की आराजी बाबत् नामांतकरण की कार्यवाही का अनुतोष चाहा है, किन्तु उक्त वसीयत में ग्राम पुर की आराजी का उल्लेख नहीं होने से

अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र अपास्त किया है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने भी इन्हीं तथ्यों को मध्य नजर रखकर अपीलांट की प्रथम अपील अपास्त की है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील के तथ्यों को साबित करने में असमर्थ रहे है । अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 20.4.2015 एवं विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 277.2015 यथावत् रखे जाने योग्य पाये जाते है ।

–:क्रियात्मक आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 135/2015 (2015/00006) बउनवानी दिलीप कुमार बनाम राज0 सरकार को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 204.2015 एवं विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 27.7.2015 यथावत् रखे जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.11.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर